न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – /निगरानी/भू.रा./अशोकनगर/2018/ ....

निगरानी - 3576/2018/अशोकनगर/भू.रा.

श्री मनोज सिंह ... द्वारा आज दि. 11-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 19-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 11-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

यशपाल सिंह पुत्र लालाराम जाति यादव निवासी ग्राम बरखेडा छज्जू तहसील अशोकनगर

—— अपीलान्ट

बनाम

1. मृतक फूलचंद उर्फ काशीराम पुत्र पन्नालाल ब्राम्हण
2. बालमुकंद पुत्र पन्नालाल जाति ब्राम्हण
3. मुन्नी बाई पत्नी हरिचरण जाति ब्राम्हण निवासीगण ग्राम बरखेडा छज्जू

—— रेस्पोडेंट

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 44 (1) म0प्र0भू0राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर प्रक.क. 2–अ–5/2016–17 में पारित आदेश दि. 16.03.18

श्रीमान जी,

अपीलान्ट की ओर से अपील प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

(1) यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश धारा 107 के तहत अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के अनुसार विधिवत पूर्ण नक्शा दुरूस्ती के सम्बन्ध में पर्याप्त अभिलेख एवं साक्ष्य के बिना पारित किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) यह कि, अपीलान्ट के द्वारा विधिवत रजि. विक्रय पत्र दिनांक 06.06.1986 से ग्राम बरखेड़ा छज्जू तहसील अशोकनगर सर्वे नम्बर 104 रकवा 0.387 है. क्रय कर राजस्व अभिलेख में नामांतरण कराया तब से निरंतर इस आराजी पर उसका स्वत्व एवं आधिपत्य है ।

(3) यह कि, दिनांक 10.02.2014 को विवादित आराजी के सम्बन्ध में सीमांकन हेतु नक्शा की प्रतिलिपि पटवारी से मांगी तो उसके द्वारा बताया गया कि खसरा एवं खतौनी के अनुसार वर्तमान नक्शे में 104 का रकवा 0.387 है0 न होकर रकवा कम है । इसलिए आवेदक द्वारा नक्शा में रकवा का संशोधन किये जाने हेतु श्रीमान विचारण न्यायालय अपर

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी/3576/18/अ0नगर/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24.12.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया एवं अनावेदक के अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। 2– आवेदक के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा इस न्यायालय में अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 2/अ–5/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 16/03/18 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई। 3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया अध्ययन से प्रतीत होता है कि म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) के तहत इस न्यायालय में निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में ग्राह्य योग्य नहीं होने से अमान्य की जाती है। आवेदक चाहे तो वह सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु मूल दस्तावेज प्राप्त कर सकता है। सदस्य	